

FORM NO. III

फर्दअहकाम
(नियम- 26)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

वादी/वादीगण	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण
स्व. लक्ष्मणसिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपूत भाटी के वारिसान- 1. स्व. हिरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह के वारिसान- 1/1 चन्दनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत निवासी भीमगोड़ा कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (3/3)		स्व. वरदसिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपुत के वारिसान- 1. स्व. रावतसिंह पुत्र वरदसिंह के वारिसान- 1/1 भोमसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपुत निवासी भीमगोड़ा कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (20) 21 शाखा प्रबंधक एसबीआई एडीबी शाखा सिवाना 22 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 88,53,188 RT Act.

मु.नं. 134 /2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.12.2023	वादी चन्दनसिंह वगैरा की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी ने यह वाद पत्र प्रतिवादी भोमसिंह वगैरा के विरुद्ध धारा 88,53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.02.2024 को पेश हो। (दिनेश विरनोई) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
08.02.24	पत्रावली आज पेश हुई। वर एसबीआई द्वारा रिकॉर्ड रखा गया है। आज इत्यादि होकर पत्रावली आईदा 12-04-24 को पेश हो।	
12.04.2024	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठमहीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है। इत्यादि होकर पत्रावली दिनांक 09.05.24 को पेश है।	
09.05.24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्ट्री खर्च सहित पेश करे, सम्मन पेश करते पत्र जारी होकर पत्रावली आईदा 13.05.2024 को पेश है। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	
13.05.24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय समय में वादीगण व उनके वकील को पृथक-पृथक तीन-तीन बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद भी उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा वादीगण का वाद वादीगण व उनके सम्मन जारी व अदम पैन्की में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुल्ल शुकूर होकर दायर दफ्तर है। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	

